

2026:AHC:22868

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 937/2026

मुन्ना लाल एवं अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 9 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : अरुण कुमार, अशोक कुमार तिवारी, कृष्ण

कुमार

प्रतिवादि(यों) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, हरि नारायण सिंह, कृष्ण कांत सिंह

न्यायालय संख्या – 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1. कुछ बहस के पश्चात, याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया कि वर्तमान रिट याचिका को बल न दिए जाने के आधार पर निरस्त कर दिया जाए, इस स्वतंत्रता के साथ कि वे संबंधित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के अंतर्गत पृथक वाद योजित कर सकें।
2. रिट याचिका बल न दिए जाने के आधार पर निरस्त की जाती है।
3. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचीगण संबंधित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के अंतर्गत पृथक वाद योजित करते हैं, तो संबंधित प्राधिकारी द्वारा उक्त वाद का निस्तारण यथाशीघ्र किया जाएगा।

(प्रकाश पडिया, न्यायमूर्ति)

03 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी